न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0 – 207 / 21 दायर दिनांक 16.03.2021

सीसीएमएस आई0डी0 – 2021 / 109

कुंजी पुत्र गोपी जाति मीन निवासी रीठौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

—सायल

बनाम

1. जीतेश उम्र 30 साल
2. रामकिशोर आयु 40 साल
3. हरिकिशन आयु 36 साल

} पिसरान रामकुमार जाति मीना निवासी रीठौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

4. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री रामभरोसी गोयल वकील सायल
2. श्री पी एल गोयल वकील गैरसायलान

निर्णय

दिनांकः— 7-3-2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 463 रकबा 84 ऐयर वाके ग्राम रीठोली तहसील हिण्डौन सायल के कब्जा काश्त एवम खातेदारी की आराजी है, तमाम राजस्व रिकॉर्ड में सायल के नाम है, तथा सायल एक मात्र उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है।

आराजी मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र की डौल मेंड हो रही है। तथा उक्त भूमि में सायल द्वारा बोई फसल सरसब्ज खडी हुयी है। इस प्रकार सायल का प्राईमा फेसी केस बखूबी साबित है।

सायल की उक्त भूमि के पूरब को मिलवा गैरसायलान नम्बर 1, 2, 3 की भूमि खसरा न0 494 है, तथा उसके आगे मिलवा सायल की भूमि खसरा न0 478 की भूमि है, लेकिन सेटिलमेंट वालों ने गैरसायलान न0 1 ता 3 से मिलकर पगडण्डी की भूमि में शमशान के पुराने खसरा न0 274 की कुछ भूमि मिलाकर नवीन खसरा न0 464 दर्ज करा लिया तथा नक्शा ट्रैस में उक्त गैरसायलान न0 1 ता 3 की सीट में भेडा को जाने वाले रास्ता तक प्रदर्शित कर दिया जबकि पगडण्डी का साबिक खसरा न0 272 पुराने नक्शा ट्रैस में 478 पर पीले पाइंट से प्रदर्शित है। साबिक खसरा न0 274 शमशान सायल के खेत की डौल तक है। इस प्रकार सेटिलमेंट ने बिना अधिकार खसरा न0 464 में शमशान एवम नाला की भूमि मिलाकर बनाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:53:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

इसको गलत तौर से नक्शा ट्रैस में अंकित किया है, जबकि ऐसा करने का सेटिलमेंट को कोई अधिकार नहीं है। इसलिये सेटिलमेंट उक्त कार्यवाही स्पष्ट तौर से विधि विरूद्ध है, तथा प्रभावहीन है, जिसका इन्द्राज दुरूस्ती का दावा सायल ने अलग से पेश कर रखा है।

सेटिलमेंट वालो ने मौके के विपरीत बिना अधिकार की गयी उक्त कार्यवाही के कारण गैरसायलान न0 1 ता 3 के मन के बदयांति आ गयी है, तथा दिनांक 01.08.2020 को फावडे लेकर सायल की खातेदारी की भूमि खसरा न0 463 की दक्षिणी मेड जो सन 1990 में सायल ने भूमि कटाव को रोकने के लिये भूमि संरक्षण विभाग के सहयोग से अपनी पुरानी डौल के उपर ही अपनी भूमि में बनवायी थी। उसे फैलाने आ गये। तथा सायल ने हाथ जोडकर डौल को फैलाने से मना किया तो गैरसायलान न0 1 ता 3 झगडा करने को उतारू हो गये तब गांव के व्यक्तियों ने जबरन डौल को फैलाने से व आपस में लडाई झगडा करने से मना किया तब तो गैरसायल न0 1 ता 3 मान गये लेकिन ऐलानिया कहकर गया कि शीघ्र ही तहसीलदार पटवारी को लाकर डौल को फैलाकर तथा फसल को नष्ट करके रहेंगें। गैरसायलान स0 4 तहसीलदारजी राजनैतिक दबाब के कारण गैरसायल न0 1 ता 3 की मदद करने पर उतारू है, तथा गैरसायल स0 4 अन्य गैरसायलान के साथ दि0 09.03.2021 को मौके पर आ गये तथा उक्त खसरा न0 463 की डौल को फैलाने की धमकी की अगर गैरसायलान अपने इरादों में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभाव नहीं हो सकेगी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबंद किया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान स्वयं अथवा किसी अन्य के द्वारा आराजी खसरा न0 463 रकबा 84 ऐयर वाके ग्राम रीठौली तहसील हिण्डौन के सायल के कब्जा काश्त किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, तथा खसरा न0 463 की डौल को नहीं फैलाये व सायल की फसल को नष्ट नहीं करे ऐसा कोई कार्यनाती स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायल को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचती हो। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:53:59 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 ता 3 व ओर से श्री पी एल गोयल द्वारा वकालतनामा पेश किया एवं आदेशिका दिनांक 2 08.2022 से जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है:–

उपखण्ड अ
हिण्डौन सिटी

प्रार्थना-पत्र के मद नम्बर-1 में सायल द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध कतई गलत एवं असत्य दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना स्वीकार है, जिसमें सायल को हरगिज सफलता नहीं मिल सकती है।

2. प्रार्थना-पत्र का मद नम्बर-2 स्वीकार है।

3. प्रार्थना-पत्र का मद नम्बर-3 स्वीकार है।

4. प्रार्थना-पत्र के मद नम्बर-4 में सायल की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर-463 में पूर्व में गैरसायलान की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर-494 होना सही है तथा उसमें वादी की कोई भूमि नहीं है, बल्कि गैरसायलान की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर-494 के नीचे दक्षिण में सायल की खातेदारी की भूमि का कुछ हिस्सा मिलवा खसरा नम्बर-478 है। सेटिलमेन्ट वालों ने कोई गैरसायलान नम्बर-1 ता-3 की भूमि को मिलाकर तथाकथित किसी पगडण्डी की भूमि में शमसान के पुराने खसरा नम्बर-274 की कुछ भूमि को मिलाकर नवीन खसरा नम्बर-464 दर्ज नहीं कराया और ना ही यह कानूनन संभव है, बल्कि वास्तविकता मुताविक रिकॉर्ड यह है कि साबिक खसरा नम्बर-272 रकबा 13 विस्वा गैरमुमकिन रास्ते की भूमि मुताविक साबिक राजस्व रिकॉर्ड है तथा खसरा नम्बर साबिक 255 रकबा 9 वीघा 15 विस्वा गैर मुमकिन नला की भूमि है। इस प्रकार मुताविक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर-464 रकबा-10 ऐयर उक्त साबिक खसरा नम्बर-255 गैरमुमकिन नला व खसरा नम्बर-272 गैरमुमकिन रास्ते से कायम हुआ है जो कि बहुत कम रकबा सेटिलमेन्ट द्वारा रास्ते का कायम किया गया है। उक्त भूमि में होकर प्रारम्भ से उक्त खेतों के काश्तकार बजगाने बुजुर्गान उक्त साबिक खसरा नम्बरान से खेतो पर आते जाते रहे है। उक्त भूमि प्रारम्भ से रास्ते की भूमि रही है, जिसे सायल के द्वारा उक्त सम्पूर्ण रिकॉर्ड की स्थिती को प्रकरण में स्पष्ट न करके बदयान्ती पूर्वक उसे पगदड़ी की जमीन बताकर विधि विरुद्ध रिकॉड के विपरित शमशान की भूमि बताकर सेटिलमेन्ट द्वारा रास्ता दर्शाया करना गलत रूप से बताया है. बल्कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि रास्ते की भूमि रही है तथा रास्ता बिल्कुल सही तौर पर मुताविक साबिक रिकॉर्ड सेटिलमेन्ट द्वारा मुख्य रास्ते भेडा तक जाने के लिए सही रूप से रास्ता बताया है। साबिक खसरा नम्बर-272 कोई साबिक कोई पगदंडी का कभी भी राजस्व रिकॉर्ड में नहीं रहा, बल्कि उक्त साबिक खसरा नम्बर गैरमुमकिन रास्ता मुताविक साबिक रिकॉर्ड रहा है। साबिक खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:53:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अ
हिण्डौन सिटी

नम्बर–272 कोई पुराने नक्शा ट्रेस में 478 पर कोई जीरो पोइन्ट पर नहीं रहा। साबिक खसरा नम्बर–274 शमशान की भूमि कोई सायल के खेत की डौल तक नहीं है, बल्कि बीच में रास्ते की भूमि है अर्थात शमशान की भूमि रास्ते से टच है। सेटिलमेन्ट ने कोई शमशान व नाले की भूमि खसरा नम्बर–464 की भूमि में नहीं मिलाया और नाही उसे गलत तरीके से नक्शा सीट में प्रदर्शित किया, बल्कि साबिक खसरा नम्बर–272 रकबा 13 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता की भूमि है, जिसका सेटिलमेन्ट ने केवल 18 ऐयर रकबा कायम कर रास्ते की भूमि का रकबा 6 ऐयर कम कर दिया, ऐसी सूरत में शमसान व गैरमुमकिन नाले की भूमि को ख्चासरा नम्बर–464 रास्ते की भूमि में मिलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सायल द्वारा बिल्कुल गलत व विधि विरूद्ध प्रार्थना–पत्र रिकॉर्ड के संपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए रास्ते की भूमि को हडपने की उद्देश्य से उक्त प्रार्थना–पत्र दायर किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

5. प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर–5 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सेटिलमेन्ट वालो ने मौके के विपरित बिना अधिकार के कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि खसरा नम्बर–272 गैरमुमकिन रास्ते की भूमि को रास्ता खसरा नम्बर–464 हाल दर्ज किया है। जिसमें भी 6 ऐयर रकबा रास्ते का कम कर कायम किया है, जिसे सायल ने न्यायालय से छिपाया है। गैरसायलान नम्बर–1 ता–3 के मन में कोई बदयान्ती कभी नहीं आयी, बल्कि गैरसायलान उक्त रास्ते में होकर सदैव से बजमाने बुजुर्गान अपनी भूमि हाल खसरा नम्बर–494 व अन्य खेतों पर आते जाते रहे हैं। दिनांक–01.08.2020 को गैरसायलान फावडे लेकर यादी की किसी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर–463 की कोई दक्षिणी डौल का फैलाने नहीं आये और ना सायल ने उक्त डौल सन 1990 में भूमि संरक्षण विभाग के सहयोग से डाली, जब गैरसायलान द्वारा उक्त दिनांक को किसी डौल को फैलाने नहीं आये तो सायल द्वारा उनसे हाथ जोडकर डौल फैलाने से मना करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता और नाही गैरस[illegible] करने का प्रश्न ही पैदा होता है और ना ही गांव [illegible]डा से मना करने पर गैरसायलान के मानने [illegible]दा होता और नाही गैरसायल नम्बर–4 द्वारा गैरसायलान नम्बर–1 ता–3 को मदद करने का कोई प्रश्न ही पैदा होता है। दिनांक–09.03.2021 को गैरसायल नम्बर–4 अन्य गैरसायलान के साथ मौके पर नहीं गया और उक्त मद में वर्णित कोई धमकी वादी को नहीं दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:53:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली

वास्तविकता यह है कि सायल द्वारा खसरा नम्बर-464 गैरमुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया, जिससे गैरसायलान का उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर-494 पर आना-जाना व काश्त करना बन्द हो गया, जिसकी शिकायत गैरसायल रामकिशोर द्वारा दिनांक-23.07. 2020 को एस.पी. साहब करौली व ग्रामीणों द्वारा दिनांक 24.07.2020 को जिला कलेक्टर करौली तथा दिनांक-27.07.2020 को राजस्थान सरकार सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक-21.11. 2020 को पुनः सम्पर्क पोर्टल पर इसके बाद पुनः दिनांक-28.11.2020 को सम्पर्क पोर्टल पर की गई तथा दिनांक 05.08.2020 को तहसीलदार हिण्डौन को तथा दिनांक-20.12.2020 को ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को तथा दिनांक-23.11.2020 को पुनः सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक 15.03.2021 को एस.डी.ओ. साहब हिण्डौन को गैरसायल नम्बर-3 रामकिशोर द्वारा दिनांक 12. 04.2021 को एस.पी. साहब करौली को गैरसायल रामकिशारे द्वारा दिनांक-06. 04.2021 को पुनः रामकिशोर द्वारा जिला कलैक्टर करौली को व दिनांक 08.04. 2021 को रामकिशोर द्वारा एस.डी.ओ. साहब हिण्डौन को रास्ते के अतिक्रमण के सम्बन्ध में शिकायतें की गई। उक्त अतिक्रमण के कारण गैरसायलान के खेत में तैयार फसल रास्ते के अभाव में कुटाई के बिना पड़ी रही। उक्त शिकायती पर दिनांक-09.04.2021 को तहसीलदार हिण्डौन के आदेश से गिरदावर सर्किल मजेडा द्वारा विवादित रास्ते का मौका देखकर फर्द मौका बनाई गई, जिसमें भी मौके पर विवाद की रिश्थती में पुलिस इमदाद से विवादित रास्ते के सीमा ज्ञान की अनुसंशा की गई। इसके पश्चात् थाना अधिकारी सदर हिण्डौन द्वारा जांच कर सायल व उसके परिवारजनों के विरूद्ध रास्ते पर अतिक्रमण मानते हुए उनके विरूद्ध धारा-133 जाब्ता फौजदारी का इस्तगासा सरकार बनाम कुन्जी मीना आदि न्यायालय-उप जिला कलेक्टर हिण्डौन के यहां पेश किया गया तथा दिनांक-10.06.2021 को तहसीलदार हिण्डौन द्वारा विवादित रास्ते के सीमाज्ञान हेतु टीम गठित की गई. जिस पर उक्त टीम द्वारा पुलिस इमदाद की सहायता से दिनांक-16.06.2021 को विवादित रास्ते का सीमाज्ञान कर रास्ते से सायल व उसके परिवारजनों का अतिक्रमण हटवाया जाकर रास्ते को सुचारू कराया गया, जिसकी फर्द मौका दिनांक-16.06.2021 को ही मौके पर ही तैयार की गई। वर्तमान में दिनांक-16.06.2021 से उक्त रास्ते मौके पर सुचारू है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सायल के द्वारा जबरन लट्ठ के बल पर रास्ते पर अतिक्रमण

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:53:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिका
हिण्डौन सिटी (करौ

कर उक्त अतिक्रमण को कानूनी जामा पहनाने की गरज से उसके द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायालय में अनक्लीन हैण्ड्स से दायर किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

6 प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 6 गलत है व अस्वीकार है। सायल को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, बल्कि सायल उक्त प्रार्थना–पत्र की आड में गैरमुमकिन रास्ते की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। सायल का कोई सुविधा का संतुलन साबित नहीं है, बल्कि टी.आई. से पाबन्द करने से उक्त रास्ते की भूमि को अवरुद्ध कर देगा, जिससे गैरसायलान अपनी खातेदारी की भूमि पर काश्त करने से वंचित हो जावेंगे, इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायल की अपेक्षा गैरसायलान के हक में बखूबी साबित है। सायल द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र अनक्लीन हैण्ड्स से तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

सायल ने मैटेरियल तथ्यों को छिपाकर अनक्लीन हैण्ड्स से न्यायालय के समक्ष उक्त दावा तथा प्रार्थना–पत्र अस्थयी निषेधाज्ञा दायर किया है, इसलिए सायल कानूनन कोई भी इक्यूटेबिल रिलीफ न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य है। सायल ने दावे में विवादित भूमि के सम्बन्ध में घोषणा की कोई दादरसी नहीं चाही है। इसलिए दावा तथा प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायल पोषनीय नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2073–76 खाता संख्या 18 वाके ग्राम रीठौली तहसील हिण्डौन पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस [illegible] वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया [illegible] अथवा किसी अन्य के द्वारा आराजी खसरा न0 463 रकबा 84 ऐ[illegible] वाके ग्राम रीठौली तहसील हिण्डौन के सायल के कब्जा काश्त किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने, तथा खसरा न0 463 की डौल को नही फलाये तथा सायल की फसल को नष्ट नहीं करने ऐसा कोई कार्यनाती स्वयं करने ना ही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायल को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:53:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिक
हिण्डौन सिटी (क

किसी प्रकार की पहुंचती हो। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने का निवेदन किया। गैरसायलान वकील ने अपने बहस कथन में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि सायल ने मैटेरियल तथ्यों को छिपाकर अनक्लीन हैण्ड्स से न्यायालय के समक्ष उक्त दावा तथा प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दायर किया है, इसलिए सायल कानूनन कोई भी इक्यूटेबल रिलीफ न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य है। सायल ने दावे में विवादित भूमि के सम्बन्ध में घोषणा की कोई दादरसी नहीं चाही है। इसलिए दावा तथा प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायल पोषनीय नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि जमाबंदी 2073–76 खाता संख्या 18 वाके ग्राम रीठौली तहसील हिण्डौन के सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त प्रकरण डोल मेड के विवाद से संबंधित है जिसकी सायलान सक्षम प्राधिकारी के यहा आवेदन हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । [illegible] बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ [illegible]

निर्णय आज दिनांक 7-3-2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:53:59 IST
Reason: SelfAttested